भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

RBE No.24/2011.

No. E (NG)-II/94/RR-1/29. **New Delhi, dated: 18.02.2011.**

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units, CORE/Allahabad,
MTP/Kolkata, Chennai, Mumbai,
CAO (R), DMW/Patiala, COFMOW/New Delhi,
Director General, RDSO/Lucknow, RSC/Vadodra,
Director, IRISE/Secundrabad, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik &
IRIM&EE/Jamalpur, Managing Dir./Konkan Railway Corporation Ltd,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and
Chairmen/Railway Recruitment Boards.

Sub: Upper age limit for direct recruitment to Group 'C' & 'D' posts on the Railways.

Ref: Board's letter of even number dated 03.2.2010 (RBE No. 26/2010).

***

Attention is invited to this Ministry's letter under reference vide which the currency of the relaxation contained in letter of even number dated 10.5.1999 (RBE No. 99/99) was extended for a period of one year i.e. up to 3.2.2011.

The matter has been reviewed and it has now been decided that this relaxation of 03 (three) years above the prescribed upper age limit for recruitment to all Group 'C' & 'D' posts including engagement of Substitutes may be extended further for a period of one year i.e. **up to 03.02.2012.** These orders take effect from 4.2.2011. Indents placed after 3.2.2011 may be suitably amended.

Please acknowledge receipt.

(Harsha Dass)
Joint Director Estt. (N)-II
Railway Board.

.....2/-

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

आर बी ई सं.24 /2011

सं. ई (एन.जी.)।।/94/आरआर.1/29 नई दिल्ली, दिनांक 18 .02.2011.

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाईयां
कोर/इलाहाबद, म.प.प/कोलकाता, मुंबई, चेन्नै,
मु.प्र.अ.(आर), डीआका/पटियाला, कॉफमो/नई दिल्ली
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा
महानिदेशक, इरिसेट/सिकन्दराबाद, इरिसेन/पुणे
इरिएन/नासिक, इरिमि/जमालपुर एवं अध्यक्ष/रेल भर्ती बोर्ड
कोंकण रेल कार्पोरेशन/नवीं मुंबई एवं डी एफ सी सी आई एल/नई दिल्ली ।

विषय: रेलों पर समूह ग और समूह घ पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा.

संदर्भ: बोर्ड का 03.02.2010 का समसंख्यक पत्र (आरबीई संख्या 26/2010)

इस मंत्रालय के संदर्भाधीन पत्र की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके तहत 10.05.99 के समसंख्यक पत्र आर. बी. ई. संख्या 99/99 में अंतर्विष्ट छूट की अवधि को आगे एक और वर्ष अर्थात् 03.02.2011 तक बढ़ाया गया था।

इस मामले की पुनरीक्षा की गई है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि एवजियों की नियुक्ति सहित सभी समूह ग एवं समूह घ पर भंर्ती के लिए निर्धारितं अधिकतम आयु सीमा में 03 (तीन) वर्ष की इस छूट को आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात् 03.02.2012 तक बढ़ा दिया जाए। यह आदेश 4.02.2011 से प्रभावी होंगे। दिनांक 03.02.2011 के पश्चात् जारी किए गए मॉग पत्रों को भी समुचित रूप से संशोधित कर लिया जाए।

कृपया पावती दें।

(हर्षा दास)
संयुक्त निदे. स्था. (अराज.)।।
रेलवे बोर्ड
...2/-